न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :– ग्रामीण 79/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एस.आर.जी. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड 321, एस.एम. लोढा काम्पलैक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल कुमावत		• अशोक कुमार पुत्र बाबुलाल ग्राम आगोलाई, बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण • जैती देवी पत्नि अशोक कुमार ग्राम आगोलाई, बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण • राजुराम पुत्र बाबुलाल ग्राम आगोलाई, बालेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :– 10.07.2024

उपस्थिति :–

1–श्री चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण अशोक कुमार पुत्र बाबुलाल व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 8,00,000/– मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **अशोक कुमार पुत्र बाबुलाल** की जायदाद **सम्पति अवस्थित लीज होल्ड सम्पति ग्राम पंचायत, पटटा न. 35, बुक न . 53,** मिशल न. 81/2019–20 **ग्राम पंचायत आगोलाई, पंचायत समिति बालेसर, जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 300** वर्ग गज, **जिसके उत्तर में राणेश पुत्र बाबुलाल, दक्षिण में मंगाराम पुत्र दुर्गाराम, पूर्व में स्वयं का प्लाट** का आम रास्ता एवं पश्चिम में **पुखराज पुरी पुत्र ओमपुरी** का मकान आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.10.2021 तक 8,60,850/रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 8,00,000/-- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.10.2021 तक 8,60,850/रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष अशोक कुमार पुत्र बाबुलाल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **अशोक कुमार पुत्र बाबुलाल** की जायदाद **सम्पति** अव**स्थित लीज होल्ड सम्पति ग्राम पंचायत, पटटा न. 35, बुक न . 53, मिशल न. 81**/2019-20 ग्राम पंचायत **आगोलाई, पंचायत समिति बालेसर, जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल** 300 वर्ग गज **जिसके उत्तर में राणेश पुत्र बाबुलाल, दक्षिण में मंगाराम पुत्र दुर्गाराम, पूर्व में स्वयं का प्लाट का** आम रास्ता **एवं पश्चिम में पुखराज पुरी पुत्र ओमपुरी का मकान आया** हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)